D.N.: 17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 31/2017

हरिया कजा वगैरह बनाम ररावीर सिंह वगैरह

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक 16/05/17

— आदेश :—

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री हरिया कजा वगैरह ने जरिये अधिवक्ता श्री M.K. परिहार ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम खरखला प0ह0 खरखला तह0 माण्डलगढ में स्थित खाता सं0 465 की आ0 न0 1330/358 कुल किता 1 रकबा 5 बीघा — बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करें। साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073 के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार कर ग्राम खरखला की खाता न0 465 आराजी न0 1330/358 रकबा 5 बीघा — बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाकर कमीशनर फीस 250/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।